

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 396/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.10.2026

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

- ☐ डिजिटल अरेस्ट कर ₹26.70 लाख की साइबर ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त लखनऊ से गिरफ्तार।
- ☐ अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 04 फर्जी सिम, 03 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ₹1,770 नकद बरामद।
- ☐ खुद को सीआईओ अधिकारी बताकर देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर पीड़ित से कराई थी ₹26.70 लाख की ठगी।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस कार्यवाही-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी अपराध/साइबर क्राइम श्री कौस्तुभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

वादी मुकदमा राधेश्याम यादव निवासी ग्राम/पोस्ट गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने शिकायत की थी कि विभिन्न मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर स्वयं को सीआईओ अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों ने उनके बैंक खाते से गलत लेनदेन होने तथा उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की बात कहकर भयभीत किया और डिजिटल अरेस्ट कर ₹26,70,000 अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मु०अ०सं० 32/2026 धारा 318(4), 319(2), 204 बीएनएस एवं 66सी, 66डी आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान पूर्व में अभियुक्त जहांगीर आलम पुत्र मोहम्मद रईस निवासी मछली माहौल, लालकुर्ती, अमीनाबाद, लखनऊ को दिनांक 20.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बयान एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त उमान अली पुत्र चांद अली निवासी 108/16, तालाब गगनी शुक्ल, जनपद लखनऊ का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित होने पर पुलिस टीम ने उसे जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमान अली पुत्र चांद अली, निवासी 108/16, तालाब गगनी शुक्ल, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश, उम्र 24 वर्ष।
अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को पुलिस एवं जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर झूठे मुकदमों में फंसाने का भय दिखाता था। इसके बाद पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर उनके खातों से अपने खातों में धनराशि ट्रांसफर करा लेता था।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोबाइल फोन (सैमसंग जेड फोल्ड 4)

2. 04 अदद सिम कार्ड
3. 03 अदद एटीएम कार्ड
4. 01 अदद आधार कार्ड
5. 01 अदद पैन कार्ड
6. ₹1,770 नकद

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 32/2026, धारा 318(4), 319(2), 204, 317(2) बीएनएस एवं 66सी, 66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह
2. उ0नि0 रजत सिंह
3. का0 एजाज खान
4. का0 सभाजीत मौर्य
5. का0 संजय कुमार
6. का0 महिपाल यादव

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

□ थाना मुबारकपुर, जीयनपुर एवं मेंहनगर पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

□ थाना मुबारकपुर क्षेत्र में युवक-युवती के साथ अभद्रता के वायरल वीडियो प्रकरण में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, थाना जीयनपुर में किशोरी से संबंधित मामले के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी।

□ थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, मारपीट एवं धमकी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर, जीयनपुर एवं मेंहनगर पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

1. थाना मुबारकपुर: वायरल वीडियो प्रकरण में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.10.2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत इस्लामपुरा में एक युवक एवं युवती के साथ घूमने का विरोध करते हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा कहासुनी एवं अभद्रता की गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर संबंधित व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस ने युवक-युवती से वार्ता कर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया था।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा स्वतः कार्रवाई की गई। वीडियो के आधार पर पहचान कर मुख्य अभियुक्त सादाब पुत्र जमशेद निवासी खैराबाद, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, हाल निवासी

इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

2. थाना जीयनपुर: किशोरी से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.10.2026 को थाना जीयनपुर पर एक किशोरी के घर से बिना बताए चले जाने तथा वापस न आने के संबंध में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0412/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 64(1), 87 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक 14.10.2026 को वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त साहिल पुत्र छांगुर निवासी डोडोपुर जोगियाना, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को बेरमा कोटवा मोड़ से समय करीब 09:20 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. थाना मेंहनगर: दुष्कर्म, मारपीट एवं धमकी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.10.2026 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 339/2026 धारा 64(1), 115(2), 352 एवं 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में ससुर पर दुष्कर्म एवं छेड़खानी तथा ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर मारपीट एवं धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। मामले की विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 14.10.2026 को थाना मेंहनगर के उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह का0 अब्दुल अहद एवं का0 विकास पटेल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शकील पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी हट्टी मदारी, थाना कोतवाली, जनपद मऊ, उम्र करीब 60 वर्ष को कस्बा मेंहनगर से समय करीब 09:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

☐ थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 कुची चाइनीज मांझा बरामद।

☐ थाना फूलपुर एवं रौनापार पुलिस की साइबर टीम द्वारा साइबर धोखाधड़ी के शिकार 02 पीड़ितों के कुल 11,938 रुपये वापस कराए गए।

☐ ऑपरेशन सड़क पर सूरर के तहत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण, आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर मांझा बरामद किया। वहीं, थाना फूलपुर एवं रौनापार की साइबर टीमों ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों की धनराशि वापस कराई तथा थाना कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की।

01. थाना मुबारकपुर: प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, 05 कुची बरामद

दिनांक 13.10.2026 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर, पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला कटरा स्थित कटरा तिराहे पर दबिश देकर अवैध रूप से

प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहे अभियुक्त मो० सिब्तैन पुत्र अली कौशर, निवासी मोहल्ला कटरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 05 कुची प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग: मु०अ०सं० 367/2026, धारा 223, 125 बीएनएस एवं धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।

02. थाना फूलपुर एवं रौनापार: साइबर धोखाधड़ी के शिकार 02 पीड़ितों के कुल 11,938 रुपये वापस कराए गए

थाना फूलपुर: आवेदक के साथ दिनांक 22.06.2026 को फर्जी संदेश के माध्यम से धनराशि वापस मांगने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से 25,000 रुपये निकाल लिए गए थे। शिकायत संख्या 33106260145361 के संबंध में थाना फूलपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा संबंधित बैंक से समन्वय कर नियमानुसार कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते में 9,938 रुपये वापस कराए गए।

थाना रौनापार: आवेदक का मोबाइल फोन चोरी होने के बाद उसके बैंक खाते से धनराशि ट्रांसफर कर ली गई थी। इस संबंध में शिकायत संख्या 33106260150177 दर्ज कराई गई थी। थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय कर धोखाधड़ी की धनराशि में से 30,087.10 रुपये विभिन्न खातों में होल्ड कराए गए। इनमें से 2,000 रुपये दिनांक 13.10.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से पीड़ित के खाते में वापस कराए गए। शेष धनराशि वापस कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है।

साइबर पुलिस टीम: थाना फूलपुर से उ०नि० दयानन्द एवं म०आ० पूजा पाण्डेय तथा थाना रौनापार की साइबर टीम।

03. थाना कोतवाली: ऑपरेशन सड़क पर सूरुर के तहत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे ऑपरेशन सड़क पर सूरुर के तहत दिनांक 13.10.2026 को सड़क अथवा सड़क किनारे सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे कुल 12 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया तथा भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न करने की चेतावनी दी गई। आजमगढ़ पुलिस की अपील: आमजन सार्वजनिक स्थानों, सड़कों अथवा सड़क किनारे शराब का सेवन न करें। ऐसा करते पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़ पुलिस अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध से पीड़ितों की सहायता एवं जनपद में सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 14.10.2026, जनपद आजमगढ़

□ फर्जी फर्म वी0आर0 ट्रेडर्स पंजीकृत कर कूटरचित दस्तावेजों एवं फर्जी इनवॉइस बिल के माध्यम से लगभग 5.12 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

□ थाना सिधारी पर पंजीकृत मुकदमे में पूछताछ के दौरान संलिप्तता पाए जाने पर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया।

□ अभियुक्त विकास राठौर, निवासी जनपद सीतापुर, को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 08.07.2025 को वादी राजीव लाल अस्थाना, वरिष्ठ सहायक, राज्य कर कार्यालय, उपायुक्त (वि0अनु0शा0), राज्यकर आजमगढ़ संभाग द्वारा फर्जी फर्म पंजीकृत कर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करने एवं राजस्व क्षति पहुंचाने के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 338/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 14.10.2026 को मुकदमे में नामजद अभियुक्त विकास राठौर पुत्र रामशंकर, निवासी ग्राम जियापुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 21 वर्ष को पूछताछ हेतु थाना सिधारी बुलाया गया। पूछताछ के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर अभियुक्त को समय करीब 12:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

विकास राठौर पुत्र रामशंकर, निवासी ग्राम जियापुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 21 वर्ष। पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 338/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मुरारी मिश्र, चौकी प्रभारी मुसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 मनोज कुमार यादव, चौकी मुसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

□ नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ द्वारा सोनवारा मोड़, रानी की सराय में साइबर जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को किया गया जागरूक।

□ डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया फिशिंग, म्यूल अकाउंट एवं सेक्सटॉर्शन जैसे साइबर अपराधों से बचाव के बताए गए तरीके।

□ साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने एवं www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की दी गई जानकारी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध कौस्तुभ त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2026 को थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत सोनवारा मोड़, रानी की सराय में बजाज ऑटो सर्विस मोटर मैकेनिक जनपद यूनियन संघ के सदस्यों के साथ साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान लाउडहेलर के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं पम्पलेट वितरित कर आमजन को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि साइबर अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी अथवा साइबर पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धनराशि की मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फर्जी ऐप डाउनलोड कराने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक कराने, गिफ्ट एवं लॉटरी का लालच देने तथा सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती कर ठगी करने जैसे तरीकों से भी सावधान रहने की जानकारी दी गई।

सोशल मीडिया फिशिंग के संबंध में फर्जी सपोर्ट अकाउंट, जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए भेजे गए संदेशों तथा संदिग्ध लॉगिन लिंक से सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही म्यूल अकाउंट एवं फर्जी मोबाइल नंबरों के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई।

सेक्सटॉर्शन से बचाव हेतु विशेष जागरूकता

साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने तथा बाद में ब्लैकमेल कर धनराशि मांगने के तरीकों के बारे में बताया गया। आमजन को अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने, अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से बचने तथा किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग होने पर घबराने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई।

साइबर पुलिस की अपील

किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा भारत सरकार के पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। समय रहते शिकायत करने से धोखाधड़ी की धनराशि को रोकने एवं वापस कराने की संभावना बढ़ सकती है।

जागरूकता अभियान में उपस्थित पुलिसकर्मी

उ०नि० शिवकुमार उपाध्याय, हे०का० कल्लू प्रसाद, हे०का० सुखनन्दन सिंह, का० विशाल यादव, का० मुकेश भारती, म०का० संज्ञा देवी एवं म०का० हसीना खातून, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।